

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- पटवार मण्डल-

क. स.	पूर्व इन्द्राज		स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज			
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
खाल सं. 77	दुलाराम पुत्र माना	1018	0.09	पुसाराम पुत्र मानाराम	1018	0.09
		266			266	
	राम काम जाट	262	0.02	काम जाट सा. देह	262	0.02
		263	0.01		263	0.01
	सा. देह खातेदार	264	0.10	खातेदार	264	0.10
		265	0.04		265	0.04
	शेष बकसूर	266	8.64	शेष बकसूर	266	8.64
		06	8.90		06	8.90

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक : 10/2/22

क्रमांक : 32
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

क्रमांक :
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. पटवारी हल्का मावा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नही को निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना
डीडवाना (नागौर)